25-4-16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी [illegible] उपरोक्त पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब [illegible] हेतु दि० 14-6-16 को पेश हो

सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

तहसीलदार
[illegible]

4.5.16 पत्रावली शासन सचिव, जयपुर (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.12 (3) राज-1/2016 दिनांक 12.04.2016 एवं जिला कलक्टर, नागौर के पत्र क्रमांक/कोर्ट/911-26 दिनांक 05.05.2016 के अनुसरण में तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार सम्मन/नोटिस जारी होकर पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016/ कैम्प कोर्ट में दिनांक 17.5.16 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

17.5.16 पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] वादी एवं [illegible] प्रतिवादी [illegible] खसरा नं० 884 रकबा 26.08 बीघा, 885 रकबा 9.01 बीघा, 886 रकबा 12.03 बीघा का वादी [illegible] प्रतिवादी [illegible] 1/2 हिस्सा [illegible] 1/2 हिस्से के [illegible] खातेदार घोषित किये जाते हैं। [illegible] डिक्री जारी की जाती है। [illegible]

सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

A 3/2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	के निर्णयाधार जारी कर शामिल मिसल हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । सहायक कलक्टर (मु.) [illegible]	

A 7/5

(रा वा. स. 225/2015) (सुरेश बनाम शांति वगैरा)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर कैम्प कोर्ट ईनाणा

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 225/2015

सुरेश पुत्र राजूराम जाति नायक निवासी ईनाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर वादी

बनाम

1. शान्ति पत्नी राजूराम जाति नायक निवासी ईनाणा तहसील मूण्डवा हाल निवासी मकान नम्बर 2/197 राजस्थान आवासन मण्डल, नागौर
2. प्रकाश पुत्र स्व. मोडाराम
3. सुभाष पुत्र स्व. मोडाराम
   तमाम जाति नायक निवासीगण ईनाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर
4. तहसीलदार मूण्डवा
5. उप पंजियक, मूण्डवा

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

1. श्री राजाराम अरिया एडवोकेट — वादी
1. श्री जोराराम मेहरा एडवोकेट — प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 12-5-16

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद वास्ते विभाजन, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा वाद अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य रहते चले आये है जो स्व. रतनारामजी के वारीस उतराधिकारीगण है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के सहकब्जे काश्त सहखातेदारी की पुश्तेनी अविभाजित भूमि हाल खसरा नम्बर 884 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 885 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 886 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा वाके सरहद मौजा ईनाणा तहसील मूण्डवा में स्थित है जो वादी के दादा रतनाराम से पक्षकारान के प्राप्त हुई है।

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

A 7/06

उक्त वादग्रस्त पुश्तेनी भूमि में वंशावली में बताये अनुसार स्व. रतनाराम के दोनो पुत्रगण मोडाराम व राजूराम का 1/2–1/2 हिस्सा निहित करता है यानि उपरोक्त तमाम भूमि में 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का व 1/2 हिस्सा ही प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का निहित करता है और वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त 1/2 में वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित करता है यानि तमाम खसरान में वादी का 1/4 हिस्सा निहित करता है मगर उक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग अलग खातेदारीयां दर्ज नहीं होने व संयुक्त खातेदारी होने व अब संयुक्त खातेदारी निभ नहीं पाने से वादी उपरोक्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाने हेतु यह वाद पेश कर रहा है।

चूंकि वर्तमान में जमीनों के भाव अत्यधिक बढ जाने से भूमाफिया गिरोह के लोग प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को अपने चंगुल में फसा रखा है और अविभाजित पुश्तेनी भूमि का बिना विधिवत विभाजन करवाये सहखातेदार का दुरूपयोग करते हुए बेचान, हस्तान्तरण कराना चाहते है और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 इस हेतु आमादा है, वादी को खुली धमकियां दे रहे है जबकि जब तक पुश्तेनी भूमि का सक्षम न्यायालय से भौतिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच भूभाग पर कब्जा होता है इसके बावजूद अजनबी लोगो को मनमर्जी से भूमि बेचान कर उनकी ईच्छा अनुसार कब्जा करवाने व वादी को बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए उनको ऐसा करने से रूकवाना आवश्यक हो जाने से स्थाई निषेधाज्ञा हेतु भी वाद पेश करना लाजमी हुवा है। उक्त भूमि वादी की सहखातेदारी की पुश्तेनी अविभाजित भूमि है मौके पर शुरू से लेकर आज दिन तक निरन्तर वादी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त रहता चला आने से उपरोक्त तमाम तथ्यों, परिस्थितियों, मौके की स्थिति राजस्व रेकर्ड व विधिक प्रावधानों अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने व कराने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोके जाने में ही है।

अतः वादी की प्रार्थना है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमावें–

1. वादग्रस्त पुश्तेनी भूमियां हाल खसरा नम्बर 884 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 885 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 886 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा वाके सरहद मौजा ईनाणा तहसील मूण्डवा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बंट कब्जे काश्त खातेदारी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण

संख्या 2 व 3 क बंट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित किया जावे व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त 1/2 हिस्से में सें 1/2 हिस्सा वादी का व 1/2 हिस्सा ही प्रतिवादी संख्या 1 का यानि सम्पूर्ण आराजी में से 1/4 हिस्सा वादी के बंट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अलग अलग अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार मूण्डवा को तहरीर जारी की जावें।

2. वादी के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने व कराने से प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए रोका जावें।
3. अन्य अनुतोष जो लाभार्थ वादी हो प्रदान करावें।

प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 क्रमशः प्रकाश व सुभाष की ओर से निम्नलिखित जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

पेरा संख्या 1 के तथ्य सही है। वाद के पेरा संख्या 2 मे वादी व प्रतिवादीण संख्या 1 से 3 के सहकब्जे काश्त सहखातेदारी की पुश्तेनी अविभाजित भूमि हाल खसरा नम्बर 884 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 885 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 886 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा वाके सरहद मौजा ईनाणा तहसील मूण्डवा में स्थित होने के तथ्य सही है, इसमें 1/2 भाग उतरदाताओं के कब्जा काश्त खातेदारी का है।

वाद के पैरा संख्या 2 में उक्त वादग्रस्त पुश्तेनी भूमि में पक्षकारान की हिस्सा कस्सी बतायी है तद्नुसार स्व. रतनाराम के दोनो पुत्रगण मोडाराम व राजूराम का 1/2–1/2 हिस्सा था और आज दिन उनके वारीसान का 1/2–1/2 हिस्सा निहित करता है यानि उपरोक्त तमाम भूमि में 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का व 1/2 हिस्सा ही उतरदाता प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का निहित करता है इसलिए इस अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर अलग अलग रेकर्ड में दर्ज करने व उतरदाताओं के बंट की 1/2 हिस्सा की भूमि उनके नाम अलग से दर्ज किये जाने में उतरदाता को कोई उजर आपत्ति नहीं है।

पैरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि वर्तमान में जमीनों के भाव अत्यधिक बढ जाने से भूमाफिया गिरोह के लोग प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को अपने चंगुल में फंसा रखा हो। यह भी गलत है कि उक्त अविभाजित पुश्तेनी भूमि का बिना विधिवत विभाजन करवाये सहखातेदारी का दुरूपयोग करते हुए बेचान, हस्तान्तरण कराना चाहते हो और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 इस हेतु आमादा हो। यह भी गलत है कि वादी को खुली धमकियां दे रहे हो। यहां यह तथ्य दर्ज करना

7
A 28

आवश्यक होगा कि उतरदाता न तो अपनी कब्जासुद खातेदारी को बेचने पर आमादा है न वादी को कभी धमकी दी। दोयम में उतरदाताओं को अपनी कब्जासुद खातेदारी की भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार है उनके विधिक अधिकारों से उन्हे वादी किसी भी सुरत में वंचित नहीं कर सकता है। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि वादी व उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विवाद है जिसमें हम उतरदाताओं को झुठा घसीटा जा रहा है वादी ज्यादा से ज्यादा अपनी माता प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस तरह के अभिवचन कर कोई अनुतोष पा सकता है। हम उतरदाता के विरूद्ध झुठे कथन कर किसी प्रकार का अनुतोष हमारे विरूद्ध पाने का अधिकारी नहीं है। उतरदाता रेकर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है जिनके विरूद्ध वादी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है।

वाद के पैरा संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित किया है गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 रेकर्ड की आड में बिना विधिवत विभाजन करवाये भूमि को बेचान, गिरवी, हस्तान्तरण करने या वादी को बेदखल करने, अजनबी लोगो का उनकी ईच्छा अनुसार कब्जा कराने में आमादा हो। यह भी गलत है कि वादी को अपूर्णीय क्षति होने की स्थिति हो। प्रथम तो उतरदाता अपनी भूमि को बेचना नहीं चाहते है दोयम में उनको बेचने से वादी रूकवाने का अधिकारी नहीं है ज्यादा से ज्यादा अपनी माता प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। उतरदाताओं के विरूद्ध निषेधाज्ञा पाने का उसे कानूनी अधिकार नहीं है न ही ऐसी विधि की मंशा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में न होकर उतरदाता के पक्ष में है।

पैरा संख्या 6 बिनायवाद के संबंध में है। वादी को उतरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध ऐसा कोई बिनायवाद पैदा नहीं हुआ है। जिससे वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

वाद का पैरा संख्या 7, 8 व 9 कानूनी होने से काबिल गौर अदालत है।

वाद के अन्त में उप पैरा संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त पुश्तेनी भूमियां हाल खसरा नम्बर 884 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 885 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 886 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा वाके सरहद मौजा ईनाणा तहसील मूण्डवा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बंट कब्जे काश्त खातेदारी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के बंट कब्जा

उपखण्ड अधिकारी (प.)

काश्त खातेदारी का घोषित किये जाने तक तथ्य सही है मगर अन्य तथ्य उतरदाताओं से संबंधित नहीं होने व उतरदाताओं के विरूद्ध किसी प्रकार का अन्य कोई अनुतोष पाने का वादी अधिकारी नहीं होने से अन्य तथ्य अस्वीकार है।

काउण्टर क्लेम :– प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तथा वादी एंव उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के सहकब्जे काश्त सहखातेदारी की पुश्तेनी अविभाजित भूमि हाल खसरा नम्बर 884 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 885 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 886 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा वाके सरहद मौजा ईनाणा तहसील मूण्डवा में स्थित है। इसमें काउण्टर क्लेमकर्ता का 1/2 हिस्सा निहित करता है जो स्वीकारसुदा तथ्य है व मौके पर आपसी सुविधा अनुसार मौखिक विभाजन हो रखा है मगर भौतिक विभाजन नहीं होने से उक्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के उक्त 1/2 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग आदि में दखल करने व कराने से वादी व दीगर प्रतिवादीगण को रोका जाना आवश्यक है जिस हेतु यह काउण्टर क्लेम पेश है।

काउण्टर क्लेम पेश करने का वाद हेतुक वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध भी मिथ्या आक्षेप लगाकर वाद पेश कर देने व अपनी मर्जी अनुसार वाद चलाने व विड्रो कर प्रतिवादीगण को अनावश्यक तंग परेशान करने की धमकियां देने व उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा होने से मौजा ईनाणा तहसील मूण्डवा में पैदा हुआ।

अतः जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज किया जावे व काउण्टर क्लेम अनुसार वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 884 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 885 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 886 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा वाके सरहद मौजा ईनाणा तहसील मूण्डवा का पक्षकारान के मध्य विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कर 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का व 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित कर उक्त अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावे व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में दर्ज करने व कराने से वादी व दीगर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। अन्य अनुतोष जो लाभार्थ प्रतिवादीगण हो प्रदान करावें।

प्रतिवादी संख्या 4, 5 की ओर से तहसीलदार मूण्डवा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 का रजिस्टर्ड सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुआ।

उपायुक्त कलक्टर (मु.) नागौर

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ताओं ने वाद, जवाब व काउण्टर क्लेम में वर्णित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादी ने यह वाद ग्राम ईनाणा के खसरा नम्बर 884, 885, 886 वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्से में 1/2 का खाता विभाजन हेतु पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 औपचारिक पक्षकार है। जिसमें कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः उनकी जवाबदेही बंद की गई। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी नकल संवत् 2064–67 प्रस्तुत की है। जिसमें वाद में किये गये कथन की पुष्टि होती है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से काउण्टर क्लेम में 1/2 हिस्से के विभाजन की मांग की गई है। अतः वाद वादी एंव काउण्टर क्लेम प्रतिवादी स्वीकार कर ग्राम ईनाणा के खसरा नम्बर 884 की 26.08 बीघा, 885 की 9.01 बीघा, 886 की 12.03 बीघा का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। रास्ता व लगान के निर्धारण हेतु समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 12-5-16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर